हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.10.21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट डोडी में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है तहसीलदार नैनवां का जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुका है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार जगन्नाथ एवं रामनाथ दोनो सगे भाई बताए गए है। प्रार्थी के पिता का नाम रामनाथ दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता का नाम संशोधित करवाना चाहता है। जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act के तहत मेन्टेनेबल नही है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं जवाब तहसीलदार नैनवां का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act के तहत मेन्टेनेबल नही है। प्रार्थी को अधिकार घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत करना चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:54:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)